(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1105-I/09 निगरानी – 1105-I/09

पुष्पाराजा पत्नी बलवीर सिंह निवासी ग्राम अमोल

तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.... निगरानीकर्ता

श्री सुमंत मिश्रा एडवोकेट द्वारा आज दि० 13-8-09 को प्रस्तुत

अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

विरूद्ध

म.प्र. शासन

द्वारा कलेक्टर

.... अनावेदक

Sumant Mishra Adv. 13/8/09

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 143/2007–08/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 08.04.2008 के विरूद्ध

श्रीमान्,

रिवीजनिस्ट की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

निगरानी के तथ्य :

1. यह कि, रिवीजनिस्ट का विवादित भूमि सर्वे क्र. 499 रकबा 2.00 हैक्टेयर स्थित ग्राम अमोला में है। जिस पर रिवीजनिस्ट का दिनांक 02.10.84 के पूर्व से कब्जा होने के आधार पर म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के आधार पर नायब तहसीलदार करैरा के समक्ष रिवीजनिस्ट ने भूमि स्वामी अधिकारों को प्रदान किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र प्रकरण क्रमांक 74/अ–19/94–95 पर पंजीबद्ध किया जाकर विधिवत उदघोषणा जारी की गई। आपत्तियां ...भि में कोई आपत्ति नहीं आई तथा पटवारी हल्का

13.8.09

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1105-एक/09 **जिला** - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/03/2018	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक एवं उनके अधिवक्ता को समय-समय पर तीन बार आवाज लगवाई गई। परंतु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है जबकि पिछली पेशी पर उनके अधिवक्ता श्री समन्त मिश्रा उपस्थित थे। अत: आवेदक/ उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण यह प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	